राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 758/2012/अजमेर.

मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड, बांगड़नगर, ब्यावर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अजमेर. .....प्रत्यर्थी.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एम. एल. पाटोदी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई, उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07/08/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 265/10–11/सीएसटी/ब्यावर में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 07.02.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. उक्त प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा व्यवसाय के दौरान स्वयं द्वारा घोषित किये गये कर को निर्धारित समयावधि में जमा नहीं कराने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज का आरोपण किया गया था, जिसे अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष इस आधार के साथ चुनौती दी गई थी कि अपीलार्थी ने राजस्थान विनिवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 (जिसे आगे **'RIPS–2003'** कहा जायेगा) के तहत सब्सिडी प्राप्त होने की अपेक्षा में देय कर कम जमा करवाया गया था एवं व्यवहारी को सब्सिडी विलम्ब से प्राप्त होने के कारण देय कर कम जमा हुआ था। अपीलीय अधिकारी ने इस आधार को विधिसम्मत नहीं मानते हुए इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार की है जो पूर्णतया विधिसम्मत है। अपीलार्थी का यह तर्क है कि उन्हें योजना–2003 के तहत दी गई सब्सिडी विलम्ब से प्राप्त हुई थी अतः नियमित देय कर देरी से जमा हुआ है। अपीलार्थी का यह आधार युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि RIPS–2003 के तहत जो सब्सिडी प्राप्त होती है, वह वेट अधिनियम के तहत देय कर के विरूद्ध समायोजन योग्य होती है परन्तु

लगातार.....2

RIPS–2003 के तहत योजना की शर्तों एवं प्रावधान के अनुसार सब्सिडी का वितरण किया जाता है जिसका वेट अधिनियम से कोई संबंध नहीं है बल्कि RIPS–2003 उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र नीतिगत निर्णय है, जिसके तहत किसी व्यवहारी के उद्योग पर ब्याज एवं मजदूरी का अनुदान दिया जाता है एवं वह अनुदान व्यवहारी के देय कर के विरूद्ध समायोजन किया जाता है। इस योजना का वेट अधिनियम से कोई सम्बन्ध नहीं है एवं न ही यह वेट अधिनियम के तहत जारी की गयी है बल्कि यह उद्योगों को प्रोत्साहन देने की स्वतंत्र योजना है। इस योजना के तहत किसी व्यवहारी को ब्याज एवं मजदूरी में अनुदान राशि प्राप्त होती है उसे वेट अधिनियम के तहत देय कर दायित्व के विरूद्ध जमा कराया जाता है। इसका अर्थ यह है कि सब्सिडी के आदेश जारी होने के पश्चात् वह राशि देय कर के विरूद्ध समायोजित की जा सकती है परन्तु कोई व्यवसायी अपने नियमित कर को देरी से जमा नहीं करा सकता क्योंकि वेट अधिनियम के तहत जो कर संग्रहित किया जाता है वह कर निर्धारित समय में जमा करवाया जाना अनिवार्य है एवं उसके जमा नहीं होने की स्थिति में अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज दिया जाना अनिवार्य है।

4. अपीलार्थी व्यवहारी का यह तर्क विधिसम्मत नहीं है कि उन्हें जो सब्सिडी दी गई है वह पूरे त्रैमास की समाप्ति पर एक साथ दिये जाने से दिनांक 24.03.2009 को वह राशि प्राप्त हुई है, अतः ब्याज आरोपणीय नहीं है। उल्लेखनीय है कि RIPS–2003 के तहत सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा जो राशि किसी व्यवहारी को दी जाती है वह एक स्वतंत्र योजना के तहत पात्रता अनुसार गणना कर जारी की जाती है एवं वह राशि उसे राज्य सरकार की नीति के तहत प्राप्त होती है, परन्तु वह राशि बिना किसी आदेश के एवं राजकोष में जमा हुए बिना वेट के विरूद्ध समायोजन योग्य नहीं होती है। यह निर्विवादित है कि अपीलार्थी को सब्सिडी जब भी प्राप्त होती है उसका समायोजन देय कर के विरूद्ध दिया जाता है क्योंकि वह राशि एडवांस टैक्स के रूप में राजकोष में जमा होती है परन्तु सब्सिडी की राशि राजकोष में जमा हुए बिना ही उसका समायोजन किया जाना अनुमत नहीं है। वेट अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित कर को निर्धारित समय पर जमा नहीं कराने पर ब्याज का भुगतान किया जाना विधिक अनिवार्यता है, ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत होने से उसकी पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

5. निर्णय सुनाया गया।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य